

अधिवक्ता –पत्र

(अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विरचित नियमों का नियम 4(1))

समक्ष न्यायालय

प्रकरण/कार्यवाही क्रमांक.....

विरुद्ध

मैं/हम अधोनामित 'वादी/अपीलार्थी/दावाकर्ता/प्रार्थी/आवेदक अथवा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/अनावेदक, एतद् द्वारा अधोनामित अधिवक्ता (गण) को उपरोक्त प्रकरण/कार्यवाही, जिसमें पुनर्स्थापन, एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने, सुधार संशोधन, पुनर्बिलोकन तथा इन कार्यवाहियों में पारित आदेशों को वापस लेने हेतु आवेदन पत्र सम्मिलित है, इस न्यायालय में अथवा किसी अन्य न्यायालय में, जिसमें इसका विचारण/श्रवण/कार्यवाही की जानी हो, तथा अपीलीय, पुनरीक्षण अथवा निष्पादन न्यायालय में भी इस प्रकरण / कार्यवाही से उद्भूत कार्यवाही में, तक किये गये निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उपस्थित होने, कार्य करने, अभिवचन करने तथा उक्त प्रकरण में जैसी आवश्यकता हो अथवा उसके उचित अभियोजन/बचाव हेतु सभी प्रक्रमों पर अभिवचन, अपील, प्रत्याक्षेप, याचिका, आवेदनपत्र, शपथपत्र अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों जो कि उस प्रकरण अथवा कार्यवाही के उचित अभियोजन अथवा बचाव हेतु आवश्यक समझे जायें, पर हस्ताक्षर करने अथवा प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त करता, लगाता तथा अधिकृत करता हूँ। करते हैं, एवं उसके उनके द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि एवं अनुसमर्थन मेरे /हमारे द्वारा किये गये कार्यों के रूप में भी करने हेतु सहमत हूँ/ है।

इसके साक्ष्य स्वरूप में/ हम इस प्रपत्र पर जिसकी विषय-वस्तु अन्यवस्तु को मैंने /हमने भली-भांति समझ लिया है, आज दिनांकमाह .20..... को अपने हस्ताक्षर करता हूँ/ करते हैं।

वकालतनामा निष्पादित करने वाले प्रत्येक पक्षकार का विवरण-

	नाम/पिता/पति	पंजीकृत	ईमेल पता (यदि हो तो)	फोन नं. (यदि हो तो)	प्रकरण में हैसियत	पूर्ण हस्ताक्षर अथवा अंगुलिचिह्न,
1						
2						
3						
4						
5						

स्वीकृत-

वकालतनामा स्वीकार करने वाले प्रत्येक अधिवक्ता का विवरण-

	पूर्ण नाम तथा राज्य अधिवक्ता पता	निर्वाह हेतु	ईमेल पता (यदि हो तो)	फोन नं. (यदि हो तो)	पूर्ण हस्ताक्षर
1	प्रमोद सिंह तोमर इनरोलमेंट नं. 2409/2004	हाल नं. 1 सीट नं. 31 विधि भवन न्यू विल्डिंग हाई कोर्ट जबलपुर	pramodsinght310@gmail.com	7000091483, 9755923501	

जे लागू न हो उसे काट दें

. अंगुलिचिह्नों को उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत हुये किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।